

शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा

जिला-बालोद (छ.ग.)

Website : www.gcarjunda.com
E.mail : govtcollege.arjunda1988@gmail.com



॥ विवरणिका ॥

सत्र : 2023- 20 24

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

जिला-बालोद (छ.ग.)



Scanned with OKEN Scanner

17.1 आचरण संहिता - छात्रों के पालनार्थ :-

1. छात्रों को सरल निर्व्यसनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषतः कालेज की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। छात्रों को वेशभूषा की तड़क-भड़क या विलासितापूर्ण श्रृंगार शोभा नहीं देता, इसका छात्र-छात्राओं को ध्यान रखना होगा।
2. छात्रों की यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्ण आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा।
3. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग वे नहीं अपनायेंगे।
4. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करायेंगे और न इनसे कोई सहायता मांगेंगे।
5. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जावेगा।
6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति कैसे बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
7. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि वे दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य (अध्ययन एवं अध्यापन) शांति और मनोयोग के साथ चल सके।
8. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि उन पर किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग न लगे। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उनका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने नहीं रह सकेंगे।

17.2 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

मध्यप्रदेश विश्व वि. अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम हैं। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है :-

- (1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्ट्रिक्शन

17.3 रैगिंग एवं दण्ड :-

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्जेय तथा गैस जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :



Rough

प्र. प्राचार्य

गोपीबिंदु दुर्वासा निम्बद शासकीय महाविद्यालय अर्जुनपुर
जिला - बालोद (छ.प्र.)

✓(क) रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजबूत पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्तेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभिवास, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या अपराधिक बल प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

रैगिंग का अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र-छात्रा को पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से विष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र-छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र-छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

18 महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय में कतिपय योजनायें चलाई गई हैं जिनका विवरण निम्न है :-

18.1 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का उचित पथ प्रदर्शन करने के लिए, उनके उपयुक्त रिक्त पदों की उन्हें सूचना देने के लिए विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यता एवं वांछित मानसिक और शारीरिक दक्षता से परिचित कराने के लिए सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीति प्राध्यापकों/ग्रन्थपाल की देखरेख में कार्य करता है तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए यह बहुत उपयोग प्रमाणित हो रहा है।

18.2 बुक बैंक योजना :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ देने के ध्येय से महाविद्यालय ने बुक बैंक योजना लागू की है। इस योजना के अनुसार छात्र-छात्राओं का अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। यह योजना योग्य अनु. सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए है इसके तहत पुस्तकें उपलब्ध हैं। संबंधित छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

18.3 पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभ प्रद पुस्तकें हैं। पृथक से विभागयी पुस्तकालय भी है, जिससे स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी लाभवित होते हैं। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रिडिंग रूम) है, जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र के प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें



Bugh
प्र. जा. पा. १

शहीद दुर्वास निम्न शारदाकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
जिला - बालोद (उ.प्र.)